भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-225
उत्तर देने की तारीख-03/2/2025

विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर प्रकोष्ठ

†225. **श्री सु. वेंकटेशन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में श्रेणी-वार कितने विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान आते हैं;
(ख) क्या इन संस्थानों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का संवर्धन) विनियम, 2012 द्वारा यथा निर्धारित समान अवसर प्रकोष्ठ गठित किया गया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) उन विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने 2012 के विनियमों के अनुसार अभी तक समान अवसर प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया है; और
(ङ) सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों के विरुद्ध क्या कार्रवाई शुरू की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यूजीसी के कार्यक्षेत्र में 47 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 495 राज्य विश्वविद्यालय, 502 निजी विश्वविद्यालय और 131 समवत विश्वविद्यालय हैं।

(ख से ङ): यूजीसी ने बारहवीं योजना (वर्ष 2012-2017) के तहत महाविद्यालयों के लिए समान अवसर केंद्रों संबंधी योजना हेतु दिशा-निर्देश तैयार किए थे। बारहवीं योजना के आंकड़ों के अनुसार, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त 1680 महाविद्यालयों ने समान अवसर प्रकोष्ठ (ईओसी) स्थापित किए हैं।

इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2012 अधिसूचित किए थे। यूजीसी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नव-स्थापित सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, लद्दाख और सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मुलुगु, तेलंगाना के अतिरिक्त सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने ईओसी स्थापित किए हैं। 06 यूजीसी वित्तपोषित समवत विश्वविद्यालय (डीटीबीयू) में से 05 ने ईओसी स्थापित किए हैं। अधिकांश राज्य सार्वजनिक

विश्वविद्यालयों, राज्य निजी विश्वविद्यालयों और गैर सहायता प्राप्त समवत विश्वविद्यालयों ने भी ईओसी स्थापित किए हैं।

यूजीसी ने दिनांक 10.01.2025 के अपने पत्र के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2012 के अनुपालन में वंचित समूहों की शिकायतों के प्रभावी और पारदर्शी निवारण की सुनिश्चितता हेतु समान अवसर प्रकोष्ठ और एससी/एसटी प्रकोष्ठ स्थापित करने का अनुरोध किया है।

*****